

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

हजूर सिंह बनाम मुन्ना सिंह

किरम मुकदमा 148 ए सी. पी. सी नम्बर 12 सन 2018

ल  
म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
 तारीख अहकाम  
 जो इस हुक्म  
 की तामील में  
 जारी हुए

1-18

आज मह कैविघट प्राथना पत्र हजूर सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख विवाही पक 3 एस सी तहसील श्री करणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड ने पेश किया प्राची के दार प्राथना पत्र पेश कर विवेदन किया कि GFA की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खात संख्या 73/70 के मु. न. 7, 14, 15, 22, 23, 37, 60/2, 60/12 की कुल 37.813 है. गहरीमय गेह मुमकिन खाल भूमि में प्राची के मृतक पिता लाल सिंह पुत्र जंग सिंह के नाम पर 0.632 है. खवा बाबत अप्राची दार स्वघ्न या किसी अन्य से कोई दावा या प्राथना पत्र पेश किया जाता है प्राची को सुना जावे।

अतः कैविघट प्राथना पत्र पेश कर विवेदन किया कि इस भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद पत्र या स्वघ्न प्राथना पत्र पेश होने पर प्राचीगत को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जावे। इस सम्बन्ध में कोई दावा या स्वघ्न प्राथना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो प्राथना पत्र पर रजिस्टर किया जावे। इस सम्बन्ध में कोई दावा या स्वघ्न प्राथना पत्र पेश होने तक पत्रावली निश्चयानुसार सुरक्षित रखा जावे।

नोटिस जारी  
 303  
 21/12/18

24/6/19

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कैविघट प्राथना पत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है। कैविघट प्राथना पत्र में कोई कार्यवाही उपेक्षित नहीं है। कैविघट प्राथना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीत होकर नम्बर से कम हो

24/6

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

